

मैसर्स वर्षा प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड व अन्य

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य

(सिविल अपील नम्बर 835-836/2002)

फरवरी 05, 2009

(मार्कडेय काटजू व आर.एम लोढ़ा न्यायमूर्ति)

कस्टम एक्ट, 1962-धारा 151ए-स्थायी आदेश संख्या 7493/99 दिनांकित 03.12.99 चीफ कमीशनर ऑफ कस्टम द्वारा जारी किया गया- विदेशी पत्रिकाओं में वर्णित अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के प्रकाश में प्लास्टिक सामग्री के मूल्यांकन का निर्धारण के संबंध में निर्देश एवं दिशा-निर्देश दिए गए- उनकी वैधता-वैध निर्धारित किया गया- स्थायी आदेश बाध्यकारी नहीं है तथा कस्टम ड्यूटी लगाने के उद्देश्य से मूल्य का निर्धारण करने की अर्द्धन्यायिक शक्तियों के प्रयोग में केवल सहायक के रूप में उपयोग की जा सकती है-अर्द्धन्यायिक कर्तव्यों में उसके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है-सामान्य रूप से वस्तु का मूल्यांकन कस्टम वेल्यूवेशन नियम तथा समकालीन आयात के आधार पर होना चाहिए परन्तु यदि समकालीन आयात के संबंध में यदि साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो अन्तरराष्ट्रीय मूल्य पता करने हेतु विदेशी पत्रिकाओं की सहायता ली जा सकती है- कस्टम

वेल्यवेशन (आयातिक वस्तुओं की मूल्यों का निर्धारण) नियम, 1988-
नियम 4।

वर्तमान अपील में विचारण योग्य प्रश्न चीफ कमीशनर ऑफ कस्टम के द्वारा जारी किया गया स्थायी आदेश संख्या 7493/99 दिनांकित 03.12.1999 की वैधता तथा वैधानिकता है, उक्त स्थायी आदेश के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक पत्रिकाओं में अंकित अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के प्रकाश में प्लास्टिक सामग्री के मूल्यांकन के निर्धारण के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। आदेश में फ्लोर स्वीपिंग जैसी मिश्रित सामग्री का किस प्रकार से वर्गीकरण करना है, इस संबंध में भी निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने यह मत प्रकट किया -

1. स्थायी आदेश संख्या 7493/99 दिनांकित 03.12.99 किसी भी प्रकार से आंकलन करने वाले अधिकारी के द्वारा आंकलन करने के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके स्वतंत्र अर्द्धन्यायिक कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने यह सही मत प्रकट किया था कि स्थायी आदेश को केवल कस्टम ड्यूटी लगाने के उद्देश्य से मूल्य का निर्धारण करने के अर्द्धन्यायिक शक्तियों के प्रयोग में केवल सहायक के रूप में लेना चाहिए। दरअसल विभाग का भी यह मत है कि स्थायी आदेश बाध्यकारी नहीं है एवं विभिन्न क्षेत्र गठन में कस्टम अधिकारियों के कर्तव्य निर्वहन

को सुव्यवस्थित करने हेतु केवल दिशा-निर्देश मात्र है। विभाग के अनुसार आक्षेपित स्थायी आदेश आंकलन के तथा निरीक्षण कार्य के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु तथा कार्यों में एकरूपता लाने के लिए जारी किए गए थे तथा यह केवल आंकलन का नमूना बताते हैं तथा किसी भी रूप में आंकलन प्राधिकरण के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। विभाग के उपरोक्त स्पष्ट रूप के प्रकाश में आक्षेपित स्थायी आदेश को उसी प्रकार से पढ़ा व समझा जाना चाहिए। (पैरा 20) (909-डी-एच, 910-ए)

2. एक बार संव्यवहार मूल्य को वैध कारणों के आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो कस्टम प्राधिकरण को कस्टम वैल्यूवेशन नियम की पालना करते हुए तथा समकालीन आयात के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारण करना होता है हालांकि समकालीन आयात के साक्ष्य के अभाव में कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 14 के उद्देश्यों हेतु विदेशी पत्रिकाएं जिनमें सही अंतराष्ट्रीय मूल्य अंकित हो, की सहायता लिया जाना असंगत नहीं है तथा वैसी पत्रिकाओं पर भरोसा करने को अनुचित नहीं कहा जा सकता है, जहां तक प्रकरण विशेष में उन विदेशी पत्रिकाओं खासकर प्लेट (PLATT) की प्राइस रिपोर्ट में अंकित अंतराष्ट्रीय मूल्य उक्त विशिष्ट वस्तु की सही मूल्य को धारा 14(1) के उद्देश्यों से उक्त विशिष्ट वस्तु की सही अंतराष्ट्रीय मूल्य को दर्शाता है या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण की तथ्यों पर निर्भर करेगा तथा वह भी विभाग को स्थापित करना पड़ेगा। (पैरा 21)

(910-बी-ई)

3. आक्षेपित स्थायी आदेश के पैराग्राफ संख्या 7 के अनुसार फ्लोर स्वीपिंग जैसे मिश्रित अपशिष्ट सामग्री का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाये से संबंधित प्रावधान भी आंकलन प्राधिकरण को जारी किए गए, दिशा निर्देश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। आंकलन करने वाला प्राधिकरण को अपने अर्द्धन्यायिक कर्तव्यों में इस संबंध में भी स्वतंत्र मत लेना चाहिए।
(पैरा 22) (911-बी)

आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड हरियाणा बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई 2001 (1) एससीसी 315, रवीन्द्र चंद्र पॉल बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) शिलांग 2007 (3) एससीसी 93; सीमा शुल्क आयुक्त कलकत्ता बनाम साउथ इंडिया टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड 2007 (6) एससीसी 373; ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1970 एससी 1498; सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे बनाम शिबानी इंजीनियरिंग सिस्टम्स, बॉम्बे 1996 (10) एससीसी 42; पाडिया सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर 1993 सप्लिमेंट 4 एससीसी 57; बसंत इंडस्ट्रीज नूनहाई, आगरा बनाम अपर कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, बॉम्बे 1995 सप्लिमेंट 3 एससीसी 320 और शार्प बिजनेस मशीन्स बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1991 (1) एससीसी 15, संदर्भित।

केस कानून संदर्भ :

2001 (1) एससीसी 315	रेफर किया गया	पैरा 7
2007 (3) एससीसी 93	रेफर किया गया	पैरा 7
2001 (6) एससीसी 373	रेफर किया गया	पैरा 7
एआईआर 1970 एससी 1498	रेफर किया गया	पैरा 7
1996 (10) एससीसी 42	रेफर किया गया	पैरा 13
1993 सप्प(4) एससीसी 57	रेफर किया गया	पैरा 14
1995 सपलीमेंट(3) एससीसी 320	रेफर किया गया	पैरा 14
1991 (1) एससीसी 154	रेफर किया गया	पैरा 14

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नम्बर 835-836/2002।

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद की एस.सी.ए नम्बर 13384/2000 व एम.सी.ए नम्बर 795/2001 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक क्रमशः 04.04.2021 व 25.04.2001 से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर.एम लोढ़ा के द्वारा पारित किया गया।

1. यह दोनों अपील विशेष याचिका के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय के विशेष सिविल प्रार्थना पत्र तथा विविध पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र के संबंध में पारित किए गए गये निर्णय व आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रथम अपीलार्थी मैसर्स वर्षा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड कई वस्तुओं जैसे की प्लास्टिक सामग्री के आयात का व्यवसाय में लगा हुआ है। उनके द्वारा वर्ष 2000 के जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र अमरीका से 18.45 मीटर एलपीडीई/एचपीडीई मिक्स ग्रैन्युल/पाउडर (फ्लोर स्वीपिंग) की कन्साईमेन्ट आयात की गयी इन वस्तुओं के संबंध में यह दावा किया गया है कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र अमेरीका के मैसर्स पेकसिम इन्टरनेशनल से इन्वॉईस संख्या 2827 के द्वारा यू.एस डॉलर 4151.25 के कुल कीमत पर खरीदी गई थी। आयातकर्ता ने यह घोषणा की कि सभी वस्तुएं निर्बाध रूप से एकजिम पॉलिसी 1997-2000 के पैरा 5.1 के अंतर्गत निर्बाध रूप से आयात योग्य वस्तु थी। वस्तुओं की जांच की गई कुछ वस्तुएं मूल्य के संबंध में तथा कुछ वस्तुएं विवरण मूल्य तथा गुणवत्ता के संदर्भ में गलत रूप से उदघोषित पायी गयी। विवरण तथा मूल्य के संदर्भ में वस्तुओं के गलत उदघोषणा को दृष्टिगत रखते हुए कस्टम प्राधिकरण का यह मत था कि वस्तुएं जब्त किए जाने योग्य है तथा आयातकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। एक कारण बताओं नोटिस देने का प्रस्ताव रखा

गया, परन्तु आयातकर्ता ने कारण बताओं नोटिस तथा व्यक्तिगत सुनवाई को वेव कर दिया। कस्टम के अतिरिक्त कमीशनर कन्डला ने मूल आदेश दिनांक 29.11.2000 के माध्यम से इन्वॉइस में वर्णित मूल्य को प्रचलित अंतराष्ट्रीय मार्केट दरों से काफी कम पाते हुए तथा मूल्य तथा विवरण के संबंध में की गयी गलत उद्धोषणा को देखते हुए इन्वॉइस राशि को अस्वीकार किया तथा आदेश में वर्णित आंकलन के उद्देश्य से वस्तुओं का मूल्य बढ़ाया। कस्टम के अतिरिक्त कमीशनर ने इन्वॉइस में कम मूल्य अंकित किए गये एवं विवरण में गलत उद्धोषणा किये गये वस्तुओं को जब्त करने का आदेश पारित किया परन्तु जुर्माना जमा कराकर आयातकर्ता को उसे ठीक करने का विकल्प भी दिया था। अपने आदेश में कस्टम के अतिरिक्त कमीशनर कन्डला ने आयातकर्ता फर्म व उसके निदेशक पर दो लाख पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया था।

3. वर्तमान अपीलार्थी ने मूल आदेश की वैधानिक अपील दायर ना कर गुजरात उच्च न्यायालय में एक विशेष सिविल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 151ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती प्रदान की है तथा कस्टम के चीफ कमीशनर मुम्बई द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 7493/99 की वैधता तथा वैधानिकता पर भी प्लास्टिक सामग्रियों के मूल्यांकन के संबंध में प्रश्नचिन्ह लगाया है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य विशेष सिविल प्रार्थना पत्र जिनमे समान मुद्दे उठाये गये थे वह गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित थे, उन सभी विशेष सिविल प्रार्थना पत्र को एक खंडपीठ के द्वारा एक साथ सुना गया तथा आदेश दिनांक 04.04.2001 के माध्यम से निस्तारित किया गया। खण्डपीठ ने अधिनियम की धारा 151ए के संवैधानिक वैधता के संबंध में उठाये गये प्रश्नों में कोई गुणवत्ता नहीं पाई। जहां तक कस्टम के चीफ कमीशनर के द्वारा अधीनस्थ आंकलन करने वाले प्राधिकरण को कस्टम ड्यूटी लगाने हेतु संबंधित वस्तुओं के मूल्य के आंकलन के संबंध में आक्षेपित स्थायी आदेश जारी करने के संबंध में खंडपीठ द्वारा यह मत प्रकट किया गया कि स्थायी आदेश सख्त दिशा-निर्देश अथवा आदेश नहीं है बल्कि केवल लचिला दिशा-निर्देशों वाला अनुदेश मात्र है, उच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि आक्षेपित स्थायी आदेश का संबंधित प्राधिकरण के द्वारा कस्टम ड्यूटी के निर्धारण के उद्देश्य से किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने की अर्द्धन्यायिक शक्तियों का प्रयोग हेतु सहायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। स्थायी आदेश को रेड डाउन (संकुचित व्याख्या) करके स्थायी आदेश को स्ट्रक डाउन (शून्य घोषित) करने योग्य नहीं होने का अभिमत उच्च न्यायालय ने प्रकट किया।

5. आदेश दिनांक 04.04.2001 के पुनर्विलोकन हेतु एक प्रार्थना पत्र वर्तमान अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गई जो दिनांक 25.04.2001 को

निस्तारित की गई। यह दोनों अपील उपरोक्त दोनों आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

6. इस न्यायालय द्वारा दी गयी सीमित अनुमति को देखते हुए इन अपीलों के विवाद स्थायी आदेश संख्या 7493/99 की वैधता तथा वैधानिकता तक सीमित है।

7. सुश्री मिनाक्षी अरोड़ा, ने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होकर इस न्यायालय द्वारा आयशर ट्रेक्टर लिमिटेड, हरियाणा बनाम कमीशनर ऑफ कस्टम, मुम्बई (2001) 1 एससीसी 315, के आधार दृढ़ता से यह तर्क दिया कि संव्यवहार मूल्य अर्थात् जो राशि वास्तविक रूप से आयातिक सामग्री के लिए भुगतान की गई है। केवल उसी कीमत को आंकलन योग्य मूल्य माना जा सकता है। इसलिए आक्षेपित स्थायी आदेश जिसके द्वारा उक्त संव्यवहार मूल्य को दरकिनार कर PLATT's (प्लेटस)विक्ली रिपोर्ट, जैसे पत्रिका में प्रकाशित दरों का उपयोग करने का निर्देश प्रदान किया गया है, वह वैधानिक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के दो अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया है यथा कि (1) रवीन्द्र चन्द्र पाँल बनाम कस्टम कमीशनर (निवारक) शिलांग (2007) 3 एससीसी 93, (2) आयुक्त सीमा शुल्क, कल्कत्ता बनाम साउथ इंडिया टेलीवीजन (पी) लिमिटेड 2007 6 एससीसी 373 जहां एक्चर ट्रेक्टर्स का पालन किया गया है। स्थायी आदेश को अमान्य तथा अधिकार से बाहर बताते हुए चुनौती प्रदान करते

हुए यह तर्क दिया गया कि आयातित वस्तुतः के मूल्य का आंकलन किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में कोई निर्देश प्रदान नहीं किया जा सकता तथा किस प्रकार से फ्लोर स्वीपिंग जैसे कचरे के कन्साईमेन्ट को किस तरह वर्गीकृत किया जाए, इस संबंध में भी कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। ऑरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1970 एससी 1498 पर उन्होंने भरोसा किया है।

8. इससे पहले कि आक्षेपित स्थायी आदेश पर अपना ध्यान केन्द्रित करे, इन अपीलों में उठाये गये मुद्दों के संदर्भ में प्रसांगिक कुछ विधिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा।

9. अधिनियम की धारा 14 आंकलन के उद्देश्यों से वस्तु का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाये यह बतलाती है, जो इस प्रकार से है

:-

मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए माल का मूल्यांकन (1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए, आयातित माल या निर्यातित माल का मूल्य, ऐसे माल का लेनदेन मूल्य होगा, अर्थात् माल के लिए, जब माल, यथास्थिति, भारत के लिए निर्यात हेतु परिधान के लिए आयात के समय और स्थान पर या भारत से निर्यात हेतु

परिधान के लिए, निर्यात के समय और स्थान पर ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो निमित्त बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, विक्रय किया जाता है, वास्तविक रूप से संदतया संदेय कीमत होगा, जहां माल के क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से संबंधित नहीं है और कीमत ही विक्रय के लिए एकमात्र प्रतिफल है परन्तु आयातित माल की दशा में ऐसे संव्यवहार मूल्य में, यथा पूर्वोक्त कीमत के अतिरिक्त, कमीशन और दलाली सहित लागत और सेवाओं के लिए संदत या संदेय कोई रकम, इंजीनियरिंग, डिजाइन कार्य, स्वामित्व एवं अनुज्ञप्ति फीस, आयात के स्थान तक परिवहन की लागत, इस निमित्त बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति में प्रभारीय बीमा, लदाई, उतराई और रखरखाव प्रभार्य भी सम्मिलित है

परन्तु यह और इस निमित्त बनाये गये नियम निम्नलिखित का उपबंध कर सकेंगे।

(1) वे परिस्थितियाँ जिनमें क्रेता और विक्रेता को संबंधित समझे जाएंगे।

(2) माल के बाबत मूल्य के अवधारण की रिति जब कोई विक्रय न हो या क्रेता या विक्रेता संबंधी न हो अथवा विक्रय

के लिए या किसी अन्य दशा में कीमत ही एकमात्र प्रतिफल न हो

(3) जहां समुचित अधिकारी के पास ऐसे मूल्य और इस धारा के प्रयोजनों के लिए मूल्य के अवधारण की सत्यता या यर्थाथता के बारे में संदेय करने का कारण हो, वहां, यथास्थिति, आयातक या निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य को स्वीकार या अस्वीकार करने की रीति

परन्तु यह भी कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को, जिसको, यथास्थिति, धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है या धारा 50 के अधीन निर्यात का पोतपत्र प्रस्तुत किया जाता है, यथा प्रवृत्त विनिमय की दर के प्रतिनिर्देश की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि, बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी गणना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयातित माल या निर्यातित माल के किसी वर्ग के लिए टैरिफ मूल्य उस या उसके जैसे माल की मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, नियत कर सकेगी और जहां ऐसे कोई टैरिफमूल्य नियत किए जाते हैं, वहां शुल्क ऐसे टैरिफ मूल्य के

प्रतिनिर्देश से प्रभार्य होगा।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "विनिमय दर" से वह दर अभिप्रेत है, जो-

(i) बोर्ड द्वारा अवधारित की गई हो; या

(ii) उस रीति से अभिनिश्चित की गई हो, जो बोर्ड, भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी में या विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के लिए निर्देश करे ;

(ख) विदेशी करेंसी और भारतीय करेंसी के वही अर्थ है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ड) और (थ) में है।

10. धारा 151ए बोर्ड को कस्टम अधिकारियों को वस्तुओं के वर्गीकरण तथा वस्तुओं पर लगाने वाले शुल्क के एकरूपता के उद्देश्य से कस्टम अधिकारियों को आदेश, निर्देश तथा दिशा-निर्देश प्रदान करने की शक्तिया प्रदान करता है, उपरोक्त विधि प्रावधान निम्न प्रकार से है -

151ए सीमा शुल्क अधिकारियों को निर्देश- बोर्ड, यदि वह माल के वर्गीकरण में एकरूपता के प्रयोजन के लिए या उस प शुल्क लगाने के संबंध में एेसा करना आवश्यक या

समीचीन समझता है, तो अधिकारियों को ऐसे आदेश, निर्देश और दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। जैसा कि सीमा शुल्क उचित समझे और सीमा शुल्क के ऐसे अधिकारी और इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित अन्य सभी व्यक्ति बोर्ड के ऐसे आदेशों, निर्देशों और निर्देशों का पालन करेंगे : बशर्ते कि ऐसे कोई आदेश, निर्देश या निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे-

(अ) ताकि सीमा शुल्क के ऐसे किसी अधिकारी को एक विशेष मूल्यांकन करने या किसी विशेष मामले को एक विशेष तरीके से निपटाने की आवश्यकता हो, या

(ब) ताकि उसके अपीलीय कार्यों के अभ्यास में सीमा शुल्क कलेक्टर (अपील) के विवेक में हस्तक्षेप किया जा सके।

11. अधिनियम की धारा 156 केन्द्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम के अनुरूप नियम बनाने की शक्तिया प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 156 सपठित जनरल क्लोजेज की धारा 22 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर केन्द्र सरकार के द्वारा कस्टम वेल्यूवेशन (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम 1988 (संक्षिप्त में सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम) नियम 2 (एफ) में इन्टर एलिया ट्राजिक्शन वेल्यू की परिभाषा अंकित है ।

जिसके अनुसार नियमों के अन्तर्गत नियम 4 के अनुसार निर्धारित मूल्य को ईन्टर एरिया ट्रांजेक्शन के रूप में परिभाषित किया है। कस्टम वैल्यूवेशन नियम का नियम 3 व 4 निम्न प्रकार से है:-

नियम 3- मूल्यांकन की विधि का निर्धारण उपरोक्त नियमों के संदर्भ में -

(i) आयातित वस्तु का मूल्य संव्यवहार मूल्य होगा।

(ii) अगर मूल्य का निर्धारण खण्ड (i) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सके तो इन नियमों के नियम संख्या 5 लगायत 8 की क्रमशः पालना कर मूल्य का निर्धारण किया जाएगा।

नियम 4- संव्यवहार मूल्य - (i) आयातित वस्तु का संव्यवहार मूल्य वह मूल्य है, जो वस्तु के भारत में निर्यात करने पर वास्तविक रूप से अदा किए जाये तथा इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार उसे समायोजित किया गया हो।

(ii) आयातित वस्तु का उपनियम (i) अनुसार संव्यवहार मूल्य स्वीकार किया जायेगा

परन्तु -

(अ) वस्तु के उपयोग अथवा अंतरण के संबंध में क्रेता के उपर निम्नलिखित प्रतिबंधों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिबंध न लगाये गये हो -

(i) वह प्रतिबंध जो कानून के द्वारा लगाये गये हो अथवा आवश्यक हो अथवा लोक प्राधिकरण के द्वारा लगाये गये हो अथवा

(ii) जिस भौगोलिक क्षेत्र में वस्तुओं को पुनः विक्रय किया जाता है, उक्त क्षेत्र को सीमित करे।

(iii) वस्तु के मूल्य को सारभूत तरीके से प्रभावित न करे।

(ब) विक्रय अथवा मूल्य के संबंध में कोई ऐसी शर्त अथवा प्रतिफल नहीं लगाया गया हो। मूल्यांकन किए जाने वाले वस्तु के संबंध में जिसके मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(स) क्रेता के द्वारा वस्तु के पश्चातवर्ती पुनः विक्रय के अथवा निस्तारण व उपयोग के मुनाफे का कोई भी भाग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विक्रेता के पास नहीं जाएगा जब तक कि इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के

अनुसार इस संबंध में समुचित समायोजन नहीं किया जा सके एवं

(द) विक्रेता व क्रेता आपस में संबंधित न हो अथवा जहां क्रेता व विक्रेता संबंधित हो निम्नांकित उपनियम (3) के प्रावधानों के अनुसार कस्टम के प्रयोजनों हेतु संव्यवहार मूल्य स्वीकार किए जाने योग्य हो।

(3)(अ) जहां क्रेता व विक्रेता संबंधित हो संव्यवहार मूल्य स्वीकार की जाएगी परन्तु आयातीत वस्तुओं के विक्रय की परिस्थितियों का निरीक्षण यह दर्शित करे कि संबंध से मूल्य प्रभावित नहीं हुआ है।

(ब) संबंधित व्यक्तियों के मध्य हुए विक्रय में संव्यवहार मूल्य तब स्वीकार की जाएगी जब आयातक यह दर्शित करे कि वस्तु जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, उसका उदघोषित मूल्य बहुत समीप से निम्नलिखित मूल्यों जो कि ठीक उसी समय अथवा उसी समय निर्धारित मूल्यों के काफी समीप हो।

(i) समान अथवा मिलती जुलती वस्तुओं के विक्रय में भारत में असंबंधित क्रेता के संदर्भ में संव्यवहार मूल्य

(ii) समान अथवा मिलते जुलते वस्तुओं के संबंध में निकाले गये डिडक्टिव वैल्यू (कटौती)

(iii) समान अथवा मिलते जुलते वस्तुओं के संबंध में कम्प्यूटेड (गणना की गयी) वैल्यू

परन्तु मिलान के लिए प्रयोग मूल्यों को लागू करने हेतु वाणिज्यिक स्तर, मात्रा स्तर, इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार समायोजना तथा विक्रेता के द्वारा ऐसा विक्रय जिसमें वह एवं क्रेता संबंधित नहीं है, ऐसे विक्रय में विक्रेता के द्वारा उठाये गये खर्च के संबंध में प्रदर्शित अंतर का संदर्भ में ध्यान रखा जाएगा।

(स) इस उपनियम के खण्ड (ब) प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक मूल्य स्थापित नहीं किया जाएगा।

12. अधिनियम के धारा 14 (1) वस्तुओं की मूल्य के निर्धारण की एक प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह एक उपधारणा वाला प्रावधान है। इस धारा में वर्णित कानूनी कल्पना (लीगल फिक्शन) के अनुसार आयातिक वस्तु का मूल्य वह उपधारणा किया गया मूल्य है, जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय व स्थान पर उस वस्तु को परिदत्त करने हेतु सामान्य रूप से बेचा जाये अथवा बेचने का प्रस्ताव दिया जाए।

धारा 14 (1) में जो शब्द "सामान्य रूप से" अंकित है, वह एक महत्वपूर्ण शब्द है। "सामान्य रूप से" जो धारा 14(1) में वर्णित है उसका सामान्य अर्थ "गैर अपवादात्मक" अथवा "साधारण" है। इसका अर्थ "सार्वभौमिक" रूप से नहीं है। धारा 14(1) के सन्दर्भ में वस्तुओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से हालांकी "सामान्य रूप से" शब्द का प्रयोग करने से यह संकेत दिया गया है कि यह वस्तु का वह मूल्य है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय उसका मूल्य रहा होगा। इस प्रकार धारा 14(1) में यह प्रावधान है कि परिवहन के समय व स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में जिस मूल्य पर किसी वस्तु को अथवा उससे समान वस्तुओं को जिस मूल्य पर सामान्य रूप से बचा जाता है अथवा बेचने का प्रस्ताव दिया जाता है, उस मूल्य के आधार पर शुल्क का आंकलन किया जायेगा ।

13. कस्टम वेल्यूवेशन नियम केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 156 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके वस्तुओं के मूल्यांकन में निश्चितता तथा एकरूपता हेतु बनाये गये हैं जो प्रक्रिया से सम्बंधित मुद्दे हैं। सारभूत प्रावधान धारा 14 (1) के अन्तर्गत उल्लेखित है। कस्टम वेल्यूवेशन नियम के निर्माण 3 व 4 के अन्तर्गत ट्रांजेक्शन वेल्यू मेथड का प्रावधान है। इस न्यायालय द्वारा कलेक्टर ऑफ कस्टम, बोम्बे बनाम शिवानी इंजिनियरींग सिस्टम बोम्बे (1996) 10 एससीसी 42 के प्रकरण में

कस्टम प्राधिकरण द्वारा वस्तुओं के ट्रांजेक्शन वेल्यू को गैर वास्तविक वेल्यू होने के आधार पर अस्वीकार किये जाने को उचित पाया है।

14. आयशर ट्रेक्टर्स (सुप्रा) में इस न्यायालय ने यह मत प्रकट किया था कि वह मूल्य जिस पर वह वस्तुएं तथा सामान वस्तुएं सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय व स्थान पर वितरण हेतु विक्रय की जाती है तथा विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाती है, उसे ही धारा 14 के अन्तर्गत मूल्य होने की उपधारणा की जाती है। आगे यह भी मत प्रकट किया गया था कि नियम 4(1) के द्वारा प्राधिकरण को यह आदेश किया गया है कि जिस वस्तु के मूल्य का आंकलन किया जाना है उस वस्तु को जिस मूल्य पर वास्तविक रूप से बेचा गया है अथवा बेचा जायेगा, उसी मूल्य को आंकलन हेतु संव्यवहार मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाय परन्तु इस आदेश के कुछ अपवाद नियम 4(02) में वर्णित अनुसार है। इस न्यायालय द्वारा आयशर ट्रेक्टर्स (सुप्रा) में यह भी मत प्रकट किया था कि अधिनियम की धारा 14(01) एवं नियम 4 के अनुसार आयातक के द्वारा विक्रेता को वाणिज्य के सामान्य अनुक्रम में जो मूल्य अदा किया जाता है वह मूल्य को ही धारा 14(01) में वर्णित तथा खासकर नियम 4(02) में उल्लेखित विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य अनुक्रम में वेल्यू होने के उपधारणा की जायेगी। हालांकि जब नियम 4 के अन्तर्गत वर्णित ट्रांजेक्शन को अस्वीकार किया जाता है तो नियमों के

नियम 5-8 के अनुसार क्रमिक रूप से कार्यवाही कर वेल्यू निर्धारित की जायेगी । आयशर ट्रेक्टर्स मे यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया था कि ईनवाईस से छेड़छाड़ अथवा ईनवाईस मे कम मुल्यांकन करने अथवा अत्यधिक कम मुल्य बताने अथवा वस्तुओं के मुल्यांकन के संदर्भ में गलत विवरण देने अथवा गैर वाणिज्यिक कारणों के आधार पर भी अथवा अन्य सामान्य परिस्थितियों में आकलन प्राधिकरण के द्वारा ट्रांजेक्शन वेल्यू अस्वीकार नही की जा सकती। ऐचर ट्रेक्टर्स में यह भी मत प्रकट किया गया था कि "हमारे समक्ष जो प्रकरण है उसमे यह आक्षेप नही लगाया गया है कि अपीलार्थी ने वास्तविक रूप से प्रस्तुत किये गये मूल्य को गलत उद्घोषित किया है। ना ही पाडिया सेल्स कोर्पोरेशन के प्रकरण की तरह आयातिक वस्तुओं का गलत विवरण दिया गया है।" इससे जिस बात पर हमारा ध्यान गया है, उसमें कोई संदेह नहीं रहने देता है। दरअलस ऐचर ट्रेक्टर्स में पाडिया सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम (1993) सुप्रा, 4 एससीसी 57 बसंत इंडस्ट्रीज नूनहाई आगरा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर कस्टम, बोम्बे (1995) सुप्रा, 3 एससीसी 320 एण्ड शार्प बिजनेस मशीन बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स (1991) 1 एससीसी 154 से तथ्य व परिस्थितियां भिन्न पाये गये थे। चूंकि ट्रांजेक्शन वेल्यू को अस्वीकार किया जाना विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत आने के कारण अथवा राजस्व की धोखाधड़ी हेतु आयातित वस्तुओं का गलत विवरण देने के कारण न्यायोचित था।

15. रविन्द्र चन्द्र पोल (सुप्रा) एवं साउथ इण्डिया टेलिविजन पी० लिमिटेड (सुप्रा) में भी इस विधिक स्थिति को स्वीकारा गया है कि यदि इनवाइस मूल्य से सही नहीं होना पाया जाता है तो संव्यवहार मूल्य को अस्वीकार किया जा सकता है परन्तु यह विभाग का दायित्व है कि वह स्थापित करे कि इनवाइस मूल्य सही नहीं था।

16. कस्टम वेल्यूवेशन रूल्स के नियम ए 11 में यह प्रावधान है कि अगर आयातक एवं जो कस्टम अधिकारी वस्तु का मुल्यांकन करता है उनके मध्य यदि कोई विवाद हो तो अधिनियम की धारा 14 उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत विवाद का निराकरण किया जा सकता है।

17. यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि यदि वस्तु की प्रकृति की एक बार गलत उद्घोषणा की गई है, आयातित वस्तुओं को जो मूल्य घोषित किया गया है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रह जाती है। वस्तु अथवा मुल्यांकन की गलत उद्घोषणा की गई है अथवा उद्घोषित मूल्य सही ट्रांजेक्शन वेल्यू दर्शित नहीं करती है। इसे साबित करने का भार कस्टम अथोरिटी पर होता है। यह विधिक स्थिति किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होती है।

18. अधिनियम की धारा 151 ए बोर्ड के द्वारा अधिनियम के प्रावधान के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण को आदेश एवं दिशा-निर्देश प्रदान करने की शक्तियां प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि

सभी वैसे प्राधिकरण तथा हर वैसा अन्य व्यक्ति, जो अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किया गया है, बोर्ड के सभी आदेशों, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों की पालना करे तथा उनका अनुसरण करे। उपरोक्त प्रावधान में जोड़ा गया परन्तुक यह कहता है कि ऐसा कोई आदेश निर्देश व दिशा -निर्देश नहीं दिया जायेगा-

(अ) जो कस्टम के सभी वैसे अधिकारियों को एक विशिष्ट आंकलन करने को निर्देशित करे अथवा किसी विशिष्ट प्रकरण को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने का निर्देश प्रदान करे अथवा (ब) अपीलीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कलेक्टर ऑफ कस्टम (अपील) के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप हो। धारा 151ए का परन्तुक यह पूर्णतया स्पष्ट करता है कि कस्टम अधिकारी जिसके द्वारा एक विशिष्ट मुल्यांकन किया गया है, बोर्ड के आदेशों, निर्देशों अथवा दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु बाध्य नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत आंकलन करने वाला प्राधिकरण एक अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण है, जिसे अपने अर्द्धन्यायिक शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से करना होता है। धारा 151ए आंकलन करने वाले प्राधिकरण के द्वारा अर्द्धन्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन को किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं करता है, ना ही उन कर्तव्यों के स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन को प्रभावित करता है।

19. स्टेपिंग ऑर्डर संख्या 7493/99 दिनांकित 03.12.1999 के

माध्यम से कस्टम के चीफ कमीश्नर ने विस्तृत विदेशी वाणिज्यिक पत्रिकाओं में उल्लेखित अन्तराष्ट्रीय मुल्यों के प्रकाश में प्लास्टिक सामग्रीयों के मुल्यांकन को निर्धारण करने के सम्बंध में विस्तृत निर्देश तथा दिशा निर्देश प्रदान किये हैं। अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक पत्रिका प्लेट्स (Platt's) मासिक रिपोर्ट में जो दर व मुल्य अंकित होती है जिसे प्लेट्स (Platt's) रेट के नाम से जाना जाता है, उसे लागू करने का निर्देश आंकलन करने वाले प्राधिकरण को प्रदान किया गया था। मिक्स किये हुये वस्तुओं जैसे कि फ़्लौर स्वीपिंग का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाये इस सम्बंध में भी निर्देश प्रदान किये गये थे।

20. अब प्रश्न यह होता है कि क्या आक्षेपित स्टेण्डिंग ऑर्डर किसी भी रूप में आंकलन करने वाले अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अर्द्धन्यायिक कर्तव्यों के पालन में हस्तक्षेप करता है। स्टेण्डिंग ऑर्डर में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देश शासन आदेश अथवा आज्ञापक आदेश है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित स्टेण्डिंग ऑर्डर को रेट डाउन (संकोचित) व्याख्या करते हुए उक्त स्टेण्डिंग ऑर्डर को केवल निर्देश तथा दिशा-निर्देश बतलाया है तथा प्रत्येक प्रकरण में जो आंकलन के लिए उनके सामने आये उन सभी में आवश्यक रूप से पालन किये जाने वाले शासन आदेश अथवा आज्ञात्मक आदेश नहीं होना जाहिर किया है। उच्च न्यायालय ने यह भी

अभीमत प्रकट किया है कि स्टेण्डिंग ऑर्डर को कस्टम ड्यूटी लगाने के उद्देश्य से मुल्य निर्धारित करने के अर्द्धन्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने में सहायक मात्र होना बतलाया है। हम उच्च न्यायालय के मत से सहमत है। दरअसल विभाग का भी यही कहना है कि आक्षेपित स्टेण्डिंग ऑर्डर बाध्यकारी नहीं है। विभिन्न क्षेत्र गठन में काम करने वाले कस्टम अधिकारियों का कार्य सुव्यवस्थित करने हेतु केवल दिशा-निर्देश के रूप में इसे पारित किया गया है। विभाग के अनुसार आक्षेपित स्टेण्डिंग ऑर्डर आंकलन के तथा कार्य के निरीक्षण के कार्य को सुचारू रूप से तथा कार्य में एकरूपता लाने हेतु आक्षेपित स्टेण्डिंग ऑर्डर पारित किया गया था। यह केवल आंकलन हेतु नमूना प्रस्तावित करता है तथा किसी भी रूप में आंकलन करने वाले प्राधिकरण के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।

विभाग के स्पष्ट रूप को दृष्टीगत रखते हेतु आक्षेपित आदेश केवल दिशा-निर्देश की प्रकृति का होना प्रकट होता है तथा किसी भी रूप में अधिकारियों के विवेकाधिकार को प्रभावित नहीं करता है। आक्षेपित स्टेण्डिंग ऑर्डर को उसी अनुसार पढा जाना व समझा जाना चाहिए।

21. जहाँ तक प्लेट्स (Platt's) की प्राईस रिपोर्ट व अन्य प्रतिष्ठित वाणिज्यिक पत्रिकाएं, जो धारा 14(01) के सन्दर्भ में आयातिक वस्तु के अन्तर्राष्ट्रीय दरो के द्योतक है, की सहायता लेने का प्रश्न है तो यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि एक बार संव्यवहार मूल्य को वैध कारणों के आधार

पर यदि अस्वीकार किया गया है तो कस्टम प्राधिकरण को समकालीन आयात के आधार पर तथा कस्टम वेल्यूवेशन रूल्स की पालना कर वस्तु के मूल्य को निर्धारित करना आवश्यक है। अतः समकालीन आयात के संबंध में साक्ष्य के अभाव में विदेशी पत्रिकाएं, जिनमें धारा 14 के संदर्भ में सही अन्तर्राष्ट्रीय दरों का उल्लेख होना सम्भावित है, उनकी सहायता लेने को अनुचित नहीं बतलाया जा सकता है। क्या एक प्रकरण विशेष में विदेशी पत्रिका तथा विषय में प्लेट्स (Platt's) की प्राईस रिपोर्ट में अंकित दरें धारा 14 के संदर्भ से संबंधित वस्तु की सही अन्तर्राष्ट्रीय दर बतलाती है या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा यह विभाग को साबित करना होगा, जहाँ आंकलन करने वाले प्राधिकरण के मत में इनवाईस में छेड़छाड़, कम दरे अथवा गैर वास्तविक दरे अथवा वस्तु के मुल्यांकन में वस्तु के मुल्यांकन अथवा विवरण के संबंध में गलत उद्घोषणा के कारण संव्यवहार मूल्य अस्वीकार किये जाने योग्य हो अथवा वस्तु की उद्घोषित ट्रांजेक्शन वैल्यू अत्यधिक कम हो, जिसका जरूर से आंकलन करने वाले प्राधिकरण को उचित कारण स्पष्ट करना होगा, कस्टम वेल्यूवेशन नियम की पालना कर उन्हें वस्तु के वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना पड़ेगा। उन्हीं वस्तुओं के समकालीन आयात के साक्ष्य उपलब्ध होने पर वह साक्ष्य वस्तु के आयात मूल्य के निर्धारण हेतु सर्वोत्तम कुंजी है परन्तु समकालीन आयात के साक्ष्य के अभाव में विदेशी पत्रिकाओं का प्रयोग कर आयातिक वस्तुओं के सही आयातित मूल्य का

पता लगाना ऐसे में असंगत नहीं कहा जा सकता क्योंकि अन्ततः आंकलन करने वाले प्राधिकरण को आयातित वस्तुओं के उस मूल्य का निर्धारण करना होता है जिस मूल्य पर उन वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय विक्रय किया जाता है अथवा विक्रय करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है।

22. आक्षेपित स्टेण्डिंग ऑर्डर का पैरा 7 जिसमें यह प्रावधान है कि मिश्रित अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि फ्लोर स्वीपिंग का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाये उसे भी आंकलन करने वाले प्राधिकरण के लिए केवल दिशा-निर्देश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। आंकलन करने वाले प्राधिकरण को अपने अर्द्धन्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान इस सम्बंध में भी स्वतंत्र मत लेना आवश्यक है।

23. हम लोग इस तथ्य की गहराई में जाना चाहते हैं कि क्या आंकलन करने वाला प्राधिकरण आयातित वस्तु के वेल्यू के संबंध में गलत उद्घोषणा करने का निष्कर्ष प्रदान करने में तथा कुछ आयातित वस्तुओं के विवरण की गलत मूल्य की तथा गुणवत्ता की उद्घोषणा करवाने के संबंध में अपना निष्कर्ष प्रदान करने में सही था अथवा नहीं क्योंकि इन सभी पहलुओं के संबंध में वैधानिक अपील दायर कर उन्हें चुनौती प्रदान करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने पहले ही इन पहलुओं को अपीलार्थी के द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकरण के समक्ष उठाए जाने

की स्वतंत्रता प्रदान की है।

24. अन्ततः इन अपीलों में हमें कोई गुणवत्ता नजर नहीं आती है इसलिए इन सभी को खारिज किया जाता है। खर्च के संबंध में कोई आदेश पारीत नहीं किया है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।